प्रैस नोट

ऊना जिले के सभी प्राइवेट उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के प्रधानाचार्यों व मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के कोर्ट केस CWP 8789/2014 , CWP 8781/2014 तथा शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार अपने अपने स्कूल की सूचना वेबसाइट पर अपलोड करने व सूचना पट पर लगाने हेतु नए आदेश दिए गए हैं . इसलिए सभी मुखिया इस संदर्भ में इस कार्यालय में **12-09-2017** तक एक सर्टिफिकेट (मोहर सहित हस्ताक्षर) जमा करवाएं कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के दिए गए आदेशों को पूरण रूप से लागू कर दिया है व सारी सूचना, सूचना पट व स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। जिन स्कूलों ने अभी तक यह सूचना तैयार नहीं की है उनकी इंस्पेक्शन दोबारा होगी । यह सूचना शिक्षा निदेशालय को भेजी जानी है। इसे अति आवश्यक समझें। जो स्कूल उच्च न्यायालय के यह आदेश नहीं मानेगा उनके स्कूल के नाम उच्चाधिकारियो को भेज दिए जायेंगें व उनके विरुद्ध विभागीय कारवाही अमल में लाई जाएगी और वह स्कूल उच्च न्यायालय के किसी भी प्रकार के फैसले के लिए स्वयं उतरदायी होगा ।

उप शिक्षा निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि.प्र)

अमर उजाला
दिव्य हिमाचल
दैनिक सवेरा
दैनिक जागरण
पंजाब केसरी